*संसद अधिकारी (चिकित्सा सुविधा) नियम, 1993

सा0 का0 नि0 282(अ)- केन्द्रीय सरकार, संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 (1953 का 20) की धारा 7 के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य-सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष से परामर्श करके, संसद के अधिकारियों और उनके कुटुम्ब के सदस्यों को नि:शुल्क चिकित्सीय परिचर्या और उपचार प्रदान किए जाने का विनियमन करने के लिए निम्तलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद अधिकारी (चिकित्सा सुविधा) नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. चिकित्सीय परिचर्या और उपचार-

(1) संसद का अधिकारी और उसके कुटुम्ब के सदस्य, उस पैमाने और उन शर्तो पर, जो अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1954 के अधीन अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों और उनके कुटुम्बों के सदस्यों को लागू हैं, नि:शुल्क चिकित्सीय परिचर्या और उपचार के हकदार होंगे।

(2) भारत के बाहर कर्तव्यारूढ़ रहने के दौरान संसद का कोई अधिकारी भी नि:शुल्क ऐसी चिकित्सीय परिचर्या और उपचार का हकदार होगा, जो उस स्थान पर भारतीय मिशन के प्रधानों को अनुज्ञेय हो।

टिप्पण - इन नियमों के प्रयोजन के लिए, "कुटुम्ब" का वही अर्थ होगा जो अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1954 में परिभाषित है।

3. निरसन और व्यावृत्ति - सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स सर्विसेज (मैडिकल अटेडेंस) रूल्स, 1938, जो अधिसूचना सं0 59(1)-ई0 वी0/53 (वित्त मंत्रालय), तारीख 17 अप्रैल, 1954 द्वारा संसद के अधिकारियों को लागू हैं, उन बातों के सिवाय निरसित किए जाते हैं, जिन्हें इन नियमों के निरसन से पूर्व किया गया था।

---

* भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) दिनांक 15-3-1993 में प्रकाशित।